

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012020-215159 CG-DL-E-06012020-215159

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] No. 72] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2020/पौष 13, 1941 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2020/PAUSHA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2020

का.आ. 74(अ).—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ मैसर्स भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद (पैनः AAAAI0686D) नामक संगठन को निर्धारण वर्ष 2019-2020 और इससे आगे की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन 'विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान' की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामत:-

- (i) अनुमोदित संगठन को दी गई राशि का प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान करने के लिए किया जाएगा;
- (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान करेगा;
- (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बिहयां रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बिहयों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित किसी

93 GI/2020

लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

- (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और इस प्रकार के दान का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक शोध के लिए ही किया जाएगा तथा उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- (v) अनुमोदित संगठन धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को निम्नलिखित को समाहित करते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा-
 - पूर्व वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर विस्तृत नोट;
 - वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं (जर्नल) में प्रकाशित अनुसंधान कार्यों का सारांश;
 - वर्ष के दौरान, किसी पेटेंट या अन्य समान अधिकार के लिए प्रयुक्त या पंजीकृत;
 - आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आबंटन।

.2 केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन -:

- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अलग लेखा बहियां रखने में असफल रहता है; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है;अथवा
- (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा-उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण अथवा पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (v) में उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
- (घ) अपने अनुसंधान कार्यकलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्यकलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है;अथवा
- (इ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5इ. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 2/2020/फा. सं. 203/07/2019-आ.क.नि.-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2020

- S.O. 74(E).—It is hereby notified for general information that the organization M/s Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad (PAN:- AAAAI0686D) has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii)/(iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), from Assessment year 2019-2020 and onwards under the category of "University, College or other Institution", subject to the following conditions, namely:-
 - (i) The sums paid to the approved organization shall be used for scientific research and research in social science or statistical research;

- (ii) The approved organization shall carry out scientific research, research in social science or statistical research through its faculty members or its enrolled students;
- (iii) The approved organization shall maintain **separate books of accounts** in respect of the sums received by it for scientific research and research in social science or statistical research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act;
- (iv) The approved organization shall maintain a **separate statement of donations** received and amounts applied for scientific research and research in social science or statistical research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.
- (v) The approved organization shall, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139, furnish a statement to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax containing-
 - a detailed note on the research work undertaken by it during the previous year;
 - a summary of research articles published in national or international journals during the year;
 - any patent or other similar rights applied for or registered during the year;
 - programme of research projects to be undertaken during the forthcoming year and the financial allocation for such programme.
- 2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-
 - (a) fails to maintain **separate books of accounts** referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
 - (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
 - (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or a statement referred in sub-paragraph(v) of paragraph 1; or
 - (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
 - (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii)/clause(iii) of subsection (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules.

[Notification No. 2/2020/F.No.203/07/2019/ITA-II]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.